

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, (कैम्प रीवा) जिला रीवा
(म0प्र0)।



R 5109 II 17

Rs 30/-

बिहारीलाल तनय स्व0 रामसेवक पटेल उम्र 60 वर्ष, पेशा खेती निवासी ग्राम
सेंदुरा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)।

निगरानीकर्ता/रेस्पा0कं0 1,

बनाम्

- 1-रामपाल (मृत)
- 2-जगदीश प्रसाद तनय रामप्रताप,
- 3-छोटेलाल प्रसाद तनय रामप्रताप,
- 4-रामावतार तनय रामहित,
- 5-रामकरण तनय रामसियां,
- 6-शिवकरण तनय रामसियां (मृत)
- 7-रामनाथ तनय रामहित,
- 8-रामजियावन तनय रामहित,
- 9-रामखेलावन तनय रामहित,
- 7-रामसजीवन तनय रामहित,

गैरनिगरानीकर्तागण,

निगरानी विरुद्ध न्यायालय
अनुविभागीय अधिकारी तहसील
हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) के



रामसेवक पटेल


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

8

क्रमांक R.5109-II/2017

जिला-रीवा

बिहारीलाल पटेल/रामपाल वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप सिंह गहारवार उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 80/अ-27/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> (बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>	

गैरनिगरानीकर्तागण,
निगरानी विरुद्ध न्यायालय
अनुविभागीय अधिकारी तहसील
हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0) के





